(7)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 329 / 2022
लीलाधर डूडी, निवासी टौंकछीलरी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333303, मो0न0 9784994222

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 19.10.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 328 / 2022 पर दिनांक 28.09.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 4832—33 दिनांक 28.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई / 2022 / 1013 दिनांक 10.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की एस0एस0ओ0 आई0 डी0 पोर्टल पर सूचना का अधिकार एप्लीकेशन पर कोई भी आवदेन पत्र नही प्रदर्शित कर रहा है। आवेदन नही होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदक को जबाब उपलब्ध नही करवाया जा सका। श्रीमान्जी से प्राप्त अपील नं0 329 / 29022 के सलंग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना मान0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से संबंधित होने के कारण श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10.10.2022 को भिजवाा जा चुका है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि अपील नं0 329 / 2022 मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से संबंधित नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई / 2022 / 1013 दिनांक 10.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की एस0एस0ओ0 आई0 डी0 पोर्टल पर सूचना का अधिकार एप्लीकेशन पर कोई भी आवदेन पत्र नही प्रदर्शित कर रहा है। आवेदन नही होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदक को जबाब उपलब्ध नही करवाया जा सका। श्रीमान्जी से प्राप्त अपील नं0 329 / 29022 के सलंग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना मान0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से संबंधित होने के कारण श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10.10.2022 को भिजवाा जा चुका है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि अपील नं0 329 / 2022 मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से संबंधित नही है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसके [illegible] अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.10.2022 को खुले न्यायालय में [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 16:03:48 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू